



I/48245/2023

9-HRB021/2022-CHA

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh



F. No.: 9-HRB021/2022-CHA



Dated: July, 2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),

हरियाणा सरकार,

हरियाणा सिविल सचिवालय,

चण्डीगढ़-160001(fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion of 1.2420 ha. of forest land in favor of Sub Divisional Engineer, Provincial Sub Division, PWD B&R Br., Tohana for construction of 2 lane ROB on Jakhal-Hisar Railway Line at LC No. C-6 at Railway km. 1211-2 on Tohana-Kullan road (MDR 101), under forest division and District Fatehabad, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Road/138458/2021)

Ref: (i) State Government proposal no. डी- तीन-10230/635 dated 09.06.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **1.2420** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, **1.2420** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- iii. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- iv. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।
- v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- vi. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
- vii. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।

वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।

प्रयोक्ता एजेंसी प्रोजेक्ट साइट की DGPS Map की स्वच्छ प्रति (पढ़ने योग्य) जमा करेंगे।

(B)

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i.

वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii.

काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

iii.

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **Mochiwala Minor RD 0 to 20 L&R side और Khera kheri distry RD 0 to 10 L&R side** पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

iv.

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एसीए योजना के अनुसार **Mochiwala Minor RD 0 to 20 L&R side और Khera kheri distry RD 0 to 10 L&R side** पर एसीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

v.

वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

vi.

नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।

vii.

राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।

viii.

वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

ix.

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

x.

एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

xi.

स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

xii.

केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

xiii.

वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।

xiv.

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- xv.** परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
- xvi.** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xvii.** प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xviii.** स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।
- xix.** संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।
- xx.** प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।
- xxi.** यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xxii.** कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xxiii.** इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xxiv.** अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xxv.** यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxvi.** इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

3. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,
Sd/-
(राजा राम सिंह)

उप-वनमहानिरीक्षक(केन्द्रीय)
(IRO-CHD,
MOEF&CC)

प्रतिलिपि:-

- वन महानिरीक्षक (आर.औ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।(ramesh.pandey@nic.in)।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, C-18, वन भवन, सै०-06, पंचकुला, हरियाणा (pccf-hry@nic.in)।
- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर, हरियाणा, C-18, वन भवन, सै०-06, पंचकुला, हरियाणा (cffcpanchkula@gmail.com)।
- The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Fatehabad, Haryana (dfo.ftbd-hry@nic.in)।

9-HRB021/2022-CHA
5. The Sub Divisional Engineer, PWD B&R Fatehabad.(pdfatehabad@gmail.com).

I/48245/2023